तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पंकज गर्ग **बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353840742900721	

05/02/25

अपीलार्थी पंकज गर्ग निवासी चितौड़ वालो की हवेली के पास, भीलवाड़ा ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 09.12.2024 को राजस्थान में जितने–जितने, जिन–जिन जिलो में जनसूचना अधिकारी, सहायक जनसूचना अधिकारी है, का शहर का नाम, कार्यालय का पता, कार्यालय में जिस जिस पद पर जितने जितने कर्मचारी कार्यरत है, का नाम, पता पदवार, मोबाईल नंबर सहित व समस्त राजस्थान में जिलेवार जहा–जहाँ सरकार की सम्पति में जो जो कार्यालय है, जहाँ जहाँ किराये पर है, के विवरण सहित सम्पूर्ण विवरण की सत्यापित, प्रमाणित प्रतिलिपि एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील में रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक राजकाज रेफ. 13090616 दिनांक 20.01..2025 से बतलाया कि अपीलार्थी को आनलाईन पत्र संख्या 5431432300 दिनांक 10.12.2024 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि चाही गई सूचना का संधारण कार्यालय में नही किया जाता है और ना ही कार्यालय से संबंधित है, प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जोविप्रा, नगर निगम, सहकारी समितियां, पुलिस विभाग एवं सूचना व जन सम्पर्क विभाग, जोधपुर से संबंधित है, जिसका अंतरण उक्त कार्यालयों को किया जाना संभव नही है, चूंकि अंतरण मात्र एक स्तर पर ही किया जा सकता है व प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 12.07.2012 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार संबंधित विभागों में पृथक पृथक आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना/सूचना के स्पष्टीकरण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.02.06 12:14:08 IST
Reason: Approved